तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/7/21	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक- 16/8/2021 को पेश हो। [signature]	
16/8/21	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान निम्नांकित तथ्य पेश किये। वकील प्रार्थीगण ने द्वारा बहस कथन किया की प्रा०पत्र मे अंकित भूमियाँ हमारे दादा (नारायणजी) की पैतृक सम्पतियाँ है जिनको अप्रार्थी हरिसिंह (पिता) रहन, बैचान करना चाहता है। कुछ भूमियाँ संयुक्त खातेदारी व ख०न० 271/698 गैरखातेदारी की है। अप्रार्थी स० 1 का प्रार्थी स० 1 व 2 पुत्र, पुत्री है व प्रार्थी स० 3 उसकी पत्नी है। प्रा०पत्र की चरण सख्या 3 मे वर्णित जमीन सैलाढाता मे व चरण सख्या - 4 मे वर्णित भूमियाँ पेच की बावडी में है। हमने प्रा०पत्र के समर्थन मे राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, के परिपत्र दिनांक - 8/1/2007 की प्रति भी पेश की है। विवादित भूमियो के मूल खातेदार नारायण जी मृत्यु वर्ष 2017-18 मे हो चुकी है। जवाब में इन्होने कहा कि इन पर "हिन्दु [signature]	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उत्तराधिकार अधिनियम" लागू नहीं होता है, सतानं होना इन्होंने भी माना है। दावे के निस्तारण तक रहन बेचान नहीं करने का आदेश फरमावें। वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया की जो जमाबन्दी पेश की है, ये गैर खातेदारी की है। मीणा समाज पर "हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम" लागू नहीं होते है। इन्होंने रहन, बेचान नहीं करने को कहा है, 4 व्यक्तियों के खिलाफ T.I. मांगी है। शेष सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रा०पत्र खारीज फरमाया जावें। हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे विवादित भूमियों को न्यायालय मूल वाद के निस्तारण तक संरक्षित करना उचित समझता है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सम्भावंना होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है।	

P.T.O. →

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अत: अप्रार्थीगण को तफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रकरण में दर्ज विवादित भूमियों को रहन, बैचान, दान, वसीयत नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बूंदी)	